

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज)

क्रमांक : १२५/२५

दिनांक ३.१०.२५

- :: निर्णय :: -

प्रार्थी श्री श्री प्रेमलाल पुत्र/पुत्री/पति श्री प्रेमलाल ने प्रार्थना

पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम खुरई पटवार मण्डल जिला ताहसील छबड़ा जिला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत् २०७६-७९ के खाता संख्या २५९/१७१ में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति श्री प्रेमलाल पुत्र/श्री प्रामा अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से


श्री प्रेमलाल पुत्र/श्री प्रामा अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जांच पटवारी छबड़ा से करवाने पर पटवारी ने श्री प्रेमलाल पुत्र/श्री प्रामा के बजाय श्री प्रेमलाल पुत्र/श्री प्रामा

करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में श्री प्रेमलाल पुत्र/श्री प्रामा के बजाय श्री प्रेमलाल पुत्र/श्री प्रामा करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा १३६ राजस्थान भूराजस्व अधिनियम १९५६ एवं नियम ३६९ राजस्थान भूराजस्व (भू अभिलेख) नियम १९५७ के अन्तर्गत

ग्राम खुरई के खाता संख्या २५९/१७१ में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति श्री प्रेमलाल पुत्र/श्री प्रामा के स्थान पर सम्मानजनक रूप से श्री प्रेमलाल पुत्र/श्री प्रामा दर्ज करने का

आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।


उपखण्ड अधिकारी
(Land Record Officer)
छबड़ा जिला बारां
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)